



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



क्र०- छग० / दुर्ग / चू०प०-17 / रायपुर / भाग-2

38 एम०पी०आर० 13007

दिनांक :- 12/10/2017

प्रति,

श्री नीरज अखूरे,
निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर
वास्ते - ए०सी०सी० लिमिटेड,
महर्षि कर्वे रोड, चर्च गेट स्टेशन के पास,
मुम्बई (महाराष्ट्र)- 400020

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी पथरिया चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 37.85 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 09/10/2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राधेश्याम राय, मुख्य प्रबंधक खान की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Scheme of Mining vide 314(3)/2012/MCCM(CZ)/MPLN-42 Nagpur dated 04/10/2013 for the period of 2013-14 to 2017-18: Protective Measures: There was a proposal given for construction of parapet wall of sufficient height to prevent any erosion and runoff from waste dumps, the same has not been constructed.
Rule 14 (3)	The overburden and waste material obtained during mining operations has been mixed with Limestone and found dump with waste material..
Rule 35	Soft copy of the high resolution satellite image obtained from CARTOSAT-2 satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map, as on the 31st day of March for the Financial year 2016-17, covering the mining lease and an area of two kilometres have not been submitted.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

कृ०पृ००.2.

3. श्री मनोज श्रीवास्तव, एजेन्ट एवं निदेशक प्लान्ट, जामुल सीमेंट वर्क्स, ए0सी0सी0 लि0, भिलाई, जिला- दुर्ग,
छत्तीसगढ़ 490024

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर